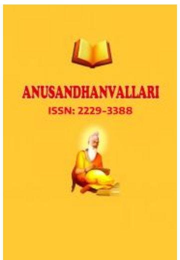

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
October 2023
ISSN 2229-3388

भारतीय संस्कृति में सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं बिहार के दलित उत्थान का समीक्षात्मक अवलोकन

डॉ कल्पना कुमारी (अतिथि प्राध्यापक)
दिल्ली विश्वविद्यालय
kalpanakumare246@gmail.com

शोध सारांश: सभ्यता और संस्कृति को पनपने तथा विकास करने में सदिओं लग जाते हैं। यहाँ जो लेखन है वह है अविकसित, अनपढ़, गरीबी से ओतप्रोत दलित समाज से, जो पीढ़ियों से अपना उद्धार के लिए रास्ता खोज रहा है, रास्ता ढूंढ़ रहा है, समाज और राष्ट्र से सहायता की उम्मीद की आशा लगाए बैठा है। मनुष्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिसका समाज के सभी सदस्यों के लिए समान महत्त्व होता है। ये आवश्यकताएँ सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ होती । जो जनसमुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए लाभकारी और हितकारी होती है। शूद्र दलित समुदाय अधिकांशतः संभवतया कृषि कार्यों में लगा रहता चलता है जे तत्कालीन समाज में वे भूमिहीन मजदूर थे। इसलिए अधिकांश लोगों को दूसरे के जमीन में काम करना पड़ता था। जो आज भी वही स्थिति है ।जब हम इन वर्गों के उद्धारक एवं समतामूलक समाज की स्थापना के बारे में विचार करते हैं।

बीज शब्द: समाज, ब्राह्मण, शूद्र, बाबा साहेब आंबेडकर, सामाजिक न्याय, मुसहर जाति, दलित सर्वेक्षण

विस्तृत व्याख्या: हर युग इतिहास का परम्पराओं का संस्कृतियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। समसामयिक मूल्यों की रोशनी में इतिहास के कुछ प्रसंग अवांछनीय दीखते हैं मगर ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में अपने समय के मांग के रूप में उन्हें समझा जा सकता है। भारत का अति प्राचीन इतिहास और उसका घटनाक्रम काफी कुछ कोहरा में ढका हुआ है। यह अवधरणा भारतीय सामाजिक राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था में निहित चातुर्वर्ण जाति व्यवस्था वर्गों में विभाजित समाज में शासक वर्ग को अपना वर्चस्व कायम रखने में मदद पहुंचाती है। भारतीय इतिहास और संस्कृति का आधर अत्यधिक प्राचीन है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का सामाजिक आधार भी बहुत प्राचीन होगा । भारतीय आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, उँच-नीच, सत्ता-दर्शन आदि का पता सामाजिक विभाजन से ही लगता है। भारतीय हिन्दू समाज जातियों के अनेक समूहों और वर्गों में विभक्त है जो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पारस्परिक सामाजिक विचार, रहन-सहन और व्यवहार में भी पृथक है। सभी जातियों के भिन्न-भिन्न व्यवहार और लक्षण हैं। धीरे-धीरे जीवन के विविध पक्षों से संबंधित सामाजिक संस्थाओं का गठन और विकास प्रारम्भ हुआ जिसने अपने विभिन्न नियमों और निषेधों से समाज को पूर्णता प्रदान की तथा विकास की ओर अग्रसर किया। मनुष्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिसका समाज के सभी सदस्यों के लिए समान महत्त्व होता है। ये आवश्यकताएँ सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ होती हैं जो जनसमुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए लाभकारी और हितकारी होती है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक विभाजन का प्रत्येक जातिगत

सदस्य कुछ कार्य प्रणाली, तरीका अथवा शासन खोज लेता है जिसे अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाता है।

वैदिक युग में भूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व का विकास हुआ। लेकिन उत्तरवैदिक काल से मध्यकाल के बीच भूमि स्वामित्व के अनेक मंतव्य लेखकों और विद्वानों ,स्मृतिकारों मीमांसकों का मत हमें प्राप्त होता है। वैदिकयुगीन समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे उस युग में गावों तथा नगरों में अनेक धंधों को करनेवाले लोग निवास करते थे। पूर्व वैदिक युग में आर्यों ने अपनी अपनी रूचि के अनुसार उद्योगों को अपनाया तथा उनके पृथक पृथक नाम कार्य के रूचि के अनुसार दिए। जो उत्तरवैदिक काल में आकर अलग अलग वर्ग के रूप में विकसित हुए। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि भूमि सभी लोगों की सम्पति है। सतपथ ब्राह्मण (13/7/ 7 . 15) जैमिनी ने मीमांशा व्यक्त करते हुए लिखा है कि पृथ्वी पर सबका सबका समान अधिकार है। ,मीमांसासूत्र (6/7/3) लेकिन कालांतर में राजतन्त्र साम्रज्य के विकास के साथ भूमि पर राजा और राज्य का प्रभुत्व बढ़ा जिसे व्यक्ति उसके समूह का भूमि पर अधिकार निर्बल पर गया। इसके साथ साथ राजतन्त्र और साम्राज्यवादी विचारको का भी उदय हुआ जिन्होंने भूमि पर राजा के अधिकार का समर्थन किया। आर्य मूलतः कृषक थे। अतः वैदिक युग में लोग कृषि के प्रति रूचि रखते थे। धीरे .धीरे समाज में बड़े बड़े भूमिखण्ड वाले कृषक हो गए जो कार्य के लिए अनेक श्रमिक रखने लगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी जिसके पास कृषि के लिए जमीन नहीं थी। जी केवल दूसरे के खेतों में कार्य करके जीवनयापन करते थे। श्रम करनेवाले स्त्री .पुरुष दोनों थे। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदहारण मिलते हैं जो स्वामी और सेवक के बारे में सुचना हमें प्राप्त होता है। उस समय धनी ब्राह्मण भी कृषक होता था जैसे कशी भरद्वाज ब्राह्मण जिसके पास 500 हल .बैल थे।(सुत्तनिपात,1,4)। उस समय भूमि के अधिकारी ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे जो कृषि कार्य के लिए सेवक रखते थे। जातकों में वर्णन है कि वेतनभोगी सेवक दिन में कार्य करने के उपरांत सायंकाल अपने घर लौटते थे। (जातक, 3.445)। प्रायः सुवह से शाम कार्य करना उनका धर्म माने जाने लगा था उनके साथ स्त्री श्रमजीवी भी कार्य करते थे। (जातक ,1.111.446)। प्रायः उस समय मुख्यतः चार प्रकार के श्रमिक कार्य करते थे-.1. दैनिक वेतन पानेवाले श्रमिक 2. ठीके पर कार्य करनेवाले श्रमिक 3. दैनिक ठेके पर कार्य करनेवाले श्रमिक 4. घर और बाहर कार्य करनेवाले मजदुर और सेवक

कृषि कर्म में कार्यरत श्रमिकों श्रम जीविओं का उल्लेख वेदों में हुआ है .किनास ,कृषिवल (खेत जोतने और वोनेवाला)गोप या गोपाल .गोपालक या चरवाहा (पशुप)चरवाहा ,धान्यकृत (धान्य साफ़ करनेवाला) ,उपल प्रक्षणी (अन्न की भूसी साफ करनेवाला),बप (बीज बोनेवाले) आदि। उत्तरवैदिक साहित्य ,सूत्र साहित्य तथा अन्य उत्तरवर्ती साहित्य में व्यावसायिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के अतिरिक्त अथर्व वेद, वाजसनेय संहिता ,सतपथ ब्राह्मण ,पंचविश ब्राह्मण आदि में अनेक शिल्पकारों का उल्लेख मिलता है। उस युग में धीवर ,दाशा ,कैवर्त ,मछुए ,कीनाश ,वप जैसे कृषि कार्य कार्य करनेवाले किसान आदि लोग थे। इसके अतिरिक्त रस्सी बाँटनेवाले एधोबी ,रथकार ,धनुषकार ,एषु कार ,वनप -वन की सुरक्षा करनेवाले आदि थे। इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जनसाधारण ही नहीं राजा भी चिंतित और जागरूक रहता था। महाभारत के सभा पर्व (5 21) में एक आख्यान के अनुसार

नारद ने युधिष्ठिर से 'वार्ता' के बारे में पूछते है कि हे युधिष्ठिर क्या आप अपने राज्य में श्रमिकों की ओर ध्यान देते हैं क्योंकि राज्य की समृद्धि श्रमिकों के सहयोग से होती है। (कच्चिन सर्वे कर्मान्तः परोक्षास्ते विशंकिता। सर्वे वा पुनरूसृष्टाः संसृष्टकारणम) । ऐसा ही आख्यान रामायण (2.100.47.48) में वर्णित है जिसमे भगवान श्रीराम 14 साल वनवास से लौटने के वाद जब छोटे भाय भरत से मिलते है तो उनसे प्रश्न करते हैं हे भरत मुझे बताओ तुम्हारा 'वार्ता' कैसा चल रहा है। क्या तुम्हारे राज्य में कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती हुई प्रजा, श्रमिक अपना जीवन -यापन सुख पूर्वक करती है । क्या तुम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिनाइयों को समाप्त करने का प्रयास करते हो या किये हो । राजा का धर्म -कर्म है कि वह बिना किसी भेद भाव के अपनी प्रजा की रक्षा करे। (रामायण,2.100.47.48, कच्चिते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षाजीवनः। वार्तायं संश्रितस्तात लोकोयं सुखमेधते। रक्ष्या हि राजा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः।) यदि राज्य में इन प्रजा या श्रमिकों को समय से वेतन मजदूरी न मिले तो यही राज्य का दुर्दशा का कारण बनता है। (रामायण,2.100.33) । प्राचीन शास्त्रकारों द्वारा श्रम जीविओं के सम्वन्ध में व्यक्त किये गये विचार उनकी सामाजिक स्थिति को हमे अवगत कराता है।

शूद्रों पर ब्राह्मण काल या उत्तरवैदिक काल से ही अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गये। समाज में शूद्र का स्थान अत्यन्त निम्न था। शूद्रों की कोटि में शूद्र वर्ण, अन्त्यजवर्ण, वृषल, और जघन्य आदि अनेक वर्गोंका उदय हुआ। वह हेय और पतित माना जाता था। समाज में उसकी निम्नतम स्थिति की घोषणा की गई, जिसके कारण निश्चय ही सामाजिक दृष्टि से शूद्र अत्यन्त पतित, अधम, निकृष्ट और हीन हो गया। उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन से संबंधित जितने भी नियम थे, सभी नीचता प्रदर्शित करने वाले थे। कट्टरपंथी विचार होते हुए भी मनु ने कुछ सुधार करने का प्रयास किया, मगर उसके समस्त कार्य को अपना मानकर उसे नैतिक मूल्यों के अंतर्गत कभी माना नहीं, जिस प्रकार द्विजों को उन्होंने स्वीकार किया। वह शूद्रों को नैतिक प्रमाण से बाहर ही समझा। मनु का कथन है कि श्रद्धायुक्त होकर अपने अपेक्षा नीच व्यक्ति (शूद्र) से भी उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मनुस्मृति (7.96.) मेधातिथि की भाष्य में चर्चा किया गया है कि द्विज (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वैश्य को आवश्यकता पड़ने पर नीच शूद्र से भी मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। (मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 143.) । स्पष्ट है कि शूद्र का भी सद्गुण ज्ञान लाभदायक है। (मिश्र जयशंकर - पृ. 144.) । आगे चलकर और कुछ सुधार किया गया। शूद्रों के दैनिक कृत्यों में शौच का आभास देकर सन्मार्ग की धीरे-धीरे समाज में शूद्रों के दो वर्गों का विकास होने लगा। एक तो वह वर्ग था जो ब्राह्मणों के निर्देशानुसार विशुद्ध आचरण और धार्मिक क्रियासम्पादित करता था और दूसरा वर्ग वह था जो विशुद्ध आचरण और सात्विचरित्र से दूर असभ्य और असंस्कारयुक्त हीन जीवन व्यतीत करता था। इनमें कुछ ऐसे पेशे थे जो समयानुकुल अच्छे थे कुछ बुरे थे और कुछ निम्न थे। उच्च व्यवसाय उच्च वर्गों ने अपना लिया। निम्न कर्म और व्यवसाय निम्न वर्ग के लोगों परथोप दिया गया। परिणामस्वरूप बाद में निम्न पेशा को जिन लोगों ने अपनाया उनमें बहुत लोग अस्पृश्य माने जाने लगे। अब हम निम्नलिखित कुछ निम्नजातियों के नामों की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न वर्ण, जातियाँ, व्यवसाय, अस्पृश्य, अधम कोटि आदि में आते थे, जिसका कि निम्न परक व्यवसाय था। ये जाति है आयोगव उग्र, निषाद, मागध, रथकार, वैदेहक, सूत, वेण,

ANUSANDHANVALLARI
ISSN: 2229-3388

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
October 2023
ISSN 2229-3388

पुक्कस, पारसव,निषाद, आवृत, धिग्वण, धीवर, कुक्कुटक, श्वपाक, चाण्डाल, मार्गव, कारावर ,चर्मकार, अन्ध्र, मेद, पाण्डुसोपाक, आहिण्डक, सोपाक, किरात, शैलूष, भिल्ल, डोम, हाड़ी, तंतुवाय ,बुनकर, तक्षण ;त्वष्ट्रा, कुलाल ;कुम्हार, कर्मार, रजक, आखनिक, पाक्षक, तैत्तिरिक, नर्तक, चर्मकार, कर्मार, गाथक, भारवाह आदि जातियाँ थीं।(मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 176-196.)

शूद्र दलित समुदाय अधिकांशतः संभवतया कृषि कार्यों में लगा रहता चलता है जे तत्कालीन समाज में वे भूमिहीन मजदूर थे। इसलिए अधिकांश लोगों को दूसरे के जमीन में काम करना पड़ता था। जो आज भी वही स्थिति है । मज्झिमनिकाय के एक परिच्छेद में चारो वर्णों के उपार्जन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है जिससे हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनयापन शिक्षा से, क्षत्रिय तीर-धनुष के प्रयोग से, वैश्य खेती गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद -दलित हँसिया से फल काटकर और अपने कंधें पर वहंगा से करता था।

ऐसी परिस्थिति में दलितों के सुधार कहें ,उद्धार कहें बुद्ध जैसा उद्धारक का आगमन इस संसार में हुआ जो समता मैत्री ,सद्भावना करुणा लेकर आया। बौद्ध धर्म की स्थापना का उद्देश्य सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करना था। इस धर्म ने सभी जातियों की उन्नति के लिए मानव मात्र के कल्याणार्थ काम किया। बौद्ध धर्म ने मानव के कल्याण के निमित्त अनेक सिद्धान्तों की स्थापना की जिसके सहारे वह अन्य धर्मो की बुराइयों को दूर कर अपनी लोकप्रियता स्थापित की। बुद्ध ने बौद्ध धर्म में चार वर्णों ,जातियों कीउत्पत्ति का कारण संसाधनों का असमान वितरण या संसाधनों का केन्द्रीकरणमाना है। इस असमानता के फलस्वरूप ही समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त होती गई। कुछ व्यक्तियों ने चोरी, लूट, हत्या आदि कर्मों का सहारा लिया और इसे ही अपने जीविकोपार्जन का स्रोत बना लिया। इस कर्मके कारण कुछ व्यक्तियों को हीन बना दिया गया और कुछ व्यक्ति को अछूत। बौद्ध धर्म ने सामाजिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से जातिगत भावनाओं से मनुष्य को दूर कर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए कार्य किया । भगवान बुद्ध के समय में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में शोषण का बोलबाला था। भगवान ने इन चारों प्रकार के शोषणों के विरुद्ध आवाज बुलंद की और सकल एवं प्रभावकारी आक्रमण किया। बुद्ध का विचार और स्वभाव कारणिक था, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य-मनुष्य का शोषण करे। भगवान बुद्ध के समय में वर्णाश्रम के सिद्धांत ने मनुष्य के चिन्तन के प्रवाह को नियंत्रित कर दिया जिस कारण ब्राह्मण वर्ण मानसिक रूप से बुद्ध ने अपने धर्म का केन्द्र मनुष्य को बनाया और उन्होंने इस विश्व में रहते हुए मनुष्य को मनुष्य के प्रति करणा, मैत्री का संदेश देकर उसके कर्त्तव्य को सिखाया। उन्होंने कहा मनुष्य दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है, संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना है। भगवान बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया और कहा कर्म ही मनुष्य का श्रेष्ठतम मार्ग है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति प्रकृति का पुत्र है इसलिए उसे विकास के लिए समानता और स्वतंत्रता देनी चाहिए। अपने-अपने अन्तर्निहित शक्तियों के पूर्ण विकास तथा प्रवृत्ति के अनुसार व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रकृति के पुत्र होने के नाते सभी समान हैं। वर्ण और जन्म के आधार पर न कोई नीचा है और न कोई उँचा, सभी व्यक्ति समान हैं। यही सिद्धांत आधुनिक समाजवाद की नींव है जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत के अनुरूप है।

सभ्यता और संस्कृति को पनपने तथा विकास करने में सदिओं लग जाते हैं। यहाँ जो लेखन है वह है अविकसित अनपढ़, गरीबी से ओतप्रोत दलित समाज से जो पीढ़ियों से अपना उद्धार के लिए रास्ता खोज रहा है रास्ता ढूंढ़ रहा है समाज और राष्ट्र से सहायता की उम्मीद की आशा लगाए बैठा है। मनुष्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिसका समाज के सभी सदस्यों के लिए समान महत्त्व होता है। ये आवश्यकताएँ सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ होती । जो जनसमुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए लाभकारी और हितकारी होती है।

जब हम इन वर्गों के उद्धारक एवं समतामूलक समाज की स्थापना के बारे में विचार करते हैं तो आधुनिक भारत के संविधान निर्माता दलितों के मसीहा ,सामाजिक न्याय के अग्रदूत बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के कार्य का पुनीरक्षण करना जरुरी हो जाता है और समय समय पर समाज को उनकी कृत्यों को मानस पटल पर जरुरी हो जाता है। इन ऐतिहासिक महापुरुषों की पुरवर्ती पीढ़ी की कड़ी में आधुनिक भारत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पदार्पण हुआ। बाबा साहेब सदियों से दलित पीड़ित, दीन-हीन जनता के दुख-दर्द को अपना दर्द समझकर अपना सारा जीवन उसके उद्धार के लिए लगा दिये और एक नया इतिहास लिख दिया। बाबा साहेब समय के विपरीत धारा में जीते हुए अपने सभी संसाधनों के अभावों के बीच अमेरिका, जर्मनी और इंगलैण्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 14 अप्रैल 1923 को वे अपना अध्ययन पूरा करने के बाद बम्बई लौटे। उन्होंने दलितों और अस्पृश्यों की समस्या को लेकर 20 जुलाई 1924 को बहिष्कार हितकारणी सभा का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने महाद सत्याग्रह तथा अस्पृश्यों के जागृति के लिए उन्होंने कई सम्मेलन किये। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पृश्यों की शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया। भारत में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए यह प्रथम सत्याग्रह था। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से प्रत्येक सामाजिक संगठन एक प्रकार से मिला-जुला संगठन होता है। उसमें भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, नैतिकता आदि के आधार पर अनेक समूह पाये जाते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि स्वतंत्र भारत में राज्य से अपेक्षा की जा सकती है कि वह व्यक्ति की विभिन्न अधिकारों की रक्षा करेगा और उसे आत्म-विकास का पूरा अवसर देगा। एक सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र, सब पुरषों और स्त्रियों, अमीरों और गरीबों, सबलों और दुर्बलों के समानता का प्रतिपादन करता है। जिस समाज का संगठन लोकतंत्रात्मक है उसमें न कोई सुविधा सम्पन्न वर्ग हो सकता है और न जाति, धर्म, वंश, धन और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेद-भाव हो सकती है। बाबा साहेब का मानना था कि जिस समाज में छुआछूत हो, लोगों को भागीदारी से वंचित रखा जाता हो, स्त्रियों को समानता न दे, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त न हों उसे लोकतंत्रात्मक समाज नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र दैनिक व्यवहार में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य की आवश्यकता महसूस होती है। जब तक इन मूल्यों का विकास नहीं होगा, लोकतंत्र अपने आदर्श से दूर रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि सुशासन की कसौटी है - निष्पक्षता, न्याय, स्वच्छ प्रशासन और ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सकें। अच्छे शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्गवाद, भेदभावों तथा संघर्षों से उँचा उठे। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनकी स्थिति में सुधार हो और वे भी

ANUSANDHANVALLARI
ISSN: 2229-3388

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
October 2023
ISSN 2229-3388

उँचे वर्गों के साथ बराबरी का दावा कर सके। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से राज्य लोगों को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, विधि व्यवस्था ठीक रखे और समाज कल्याण का कार्य करे।

भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक रूप से समानता पर आधरित समाज बनाने का संकल्प भी लिया गया था। इसका अर्थ था कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही नहीं जो पिछड़ापन समाज में व्याप्त है, उसे मिटाने का भी संकल्प लिया गया, लेकिन भारत में जो आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था कायम की गई उसके द्वारा यह काम पूरी ईमानदारी के साथ करना मुश्किल था। सवर्ण समाज यह भी समझने में नाकामयाब रहा कि समाज में उन तबकों को, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें उपर उठाने का दायित्व भी समाज पर ही है। गाँधी को स्वदेशी समाज की नैतिकता से आशा थी कि उसका समाज एक वर्गविहीन समता और धर्मनिरपेक्ष समाज होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, समानता और स्वतंत्रता की आशा थी। लोहिया को स्वाधीनता में निहित क्रांतिकरण की प्रक्रिया पर भरोसा था। यह सच है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से परिवर्तन की प्रक्रिया में गति आयी है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक भावना में बदलाव आया है। चिन्तन व आदर्श के स्तर पर अस्पृश्यता खारिज हो चुकी है और छुआछूत की मान्यताका सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार प्रायः टूट चुके हैं। इससे सपनों और संभावनाओं का अपार विस्तार हुआ है। लेकिन अभी भी कितने लोगों के चूल्हे नहीं जलते हैं हालांकि इनकी संख्या जरूर काम हुए है।

जहाँ तक भारत में दलित आँकड़ों का सवाल है तो 1991 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 13.82 करोड़ थी। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.48 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना में बिहार के 23 दलित जातियों की संख्या थी जिनकी जनसंख्या 1,2,71,700 थी यह प्रदेश की कुल आबादी का 14.55 फ़ीसदी थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में भारतीय समाज में सम्मानजनक समान स्तरीय हैसियत आज भी जरुरी है।

बिहार सरकार की तरफ से हालिया जारी जातियों की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुसहरों की आबादी 4035 लाख है जो बिहार की कुल आबादी का 3.08 प्रतिशत है। संख्या के हिसाब से देखें तो ऊंची जाति के ब्राह्मण, राजपूत और शेख ;मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के यादव व कुशवाहा तथा अनुसूचित जाति दुसाध ,धारी ,धरही भी शामिल और चमार (इसमें मोची रविदास और चर्मकार) शामिल के बाद मुसहरों की आबादी सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों से इतर 90 फीसदी लोगों के पास अपने नाम पर एक धुर भी जमीन नहीं है ।राज्य में लगभग 92.5 मुसहर खेतिहर मजदूर हैं और 96.3 भूमिहीन हैं । ये गैरमजरूआ जमीन पर ये नहर किनारे गांव के दक्खिन टोले में रहते हैं । वैसे यह जाति अपनी संस्कृति के लिहाज से प्रकृति का दोहन करनेवाले नहीं रहे हैं । ये प्रकृति को प्यार करते हैं और पूरे समाज की उपेक्षा सहते हैं । इनकी अपनी संस्कृति रही है और इनके अपने देवता हैं । यदि आप उत्तर बिहार में जाएंगे तो वहां आपको इनके देवता दीना.भद्री मिलेंगे , ऐसे ही दक्षिण बिहार के इलाके में भुईंया देवता

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
October 2023
ISSN 2229-3388

नजर आएंगे। गैर.मजरूआ जमीन पर झोपड़ी डालकर रहना और अपनी रैयत अथवा पट्टेवाली जमीन पर घर बनाकर रहने में बहुत फर्क होता है। एक फर्क तो पते का ही है अधिकांश मुसहरों के आवासीय पते में मुसहर टोली के अलावा मुसहरी का उल्लेख अवश्य रहता है आश्चर्य तो यह है कि मुसहरों की भागीदारी संगठित निजी क्षेत्रों और असंगठित निजी क्षेत्रों में भी नगण्य है। अलबत्ताए मजदूरी के काम में उनकी भागीदारी अधिक है। मुसहरों की दयनीय आर्थिक स्थिति के संबंध में एक अध्ययन बताता है कि संपत्ति का नहीं होना और क्षमता और कुशलता का अभाव मुसहरों को कृषि व रोजगार के दूसरे वैकल्पिकों की ओर जाने से रोक देता है। ष्शोधश्री' नाम के जर्नल के अप्रैल.जून 2018 अंक में (मुसहर्सर ए सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी ऑफ बिहार) शीर्षक से छपा यह अध्ययन कहता हैए शिबहार के अधिकांश मुसहर परिवारों के पास जमीन या दूसरी संपत्तियां नहीं होती हैं। वे भूमिहीन हैं और उन्हें जमीन देकर सशक्त करने की सरकार की कोशिश बिहार में सफल नहीं हुई है। (https://mainmedia.in/why-are-musahars-who-have-the-third-largest-population-of-scheduled-castes-the-most-backward-on-bihar)

शोषित वर्ग के इस समुदाय के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासऔर इस‌ और उनकी मजबूत आबादी और लचीलेपन के इतिहास के बावजूद समाज से उनके हाशिए पर होने को समझने के लिए मधुबनी, दरभंगा सहित कई जिलों में उनके गांवों का दौरा किया। हमने देखा सिंगल लेन कंक्रीट सड़कें उनके गाँव शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हैं। मुसहरी या मुसहरटोली के रूप में जानी जाने वाली ये बस्तियां आमतौर पर एक अछूत द्वीप की तरह गांवों के बाहर स्थित होती हैं पुआल की झोपड़ियों का संग्रह होता है ये कोई पक्का या ईंट का घर नहीं होता है। ग्रामीण न्यूनतम जीवित आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद बस्तियों में अभी भी शौचालय नहीं हैं। पुरुष और महिलाएं खुले में शौच जा रहे हैं। अधिकांश बस्तियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैंए हालांकि घरों में बिजली की आपूर्ति जरूर है। यहाँ ज्यादातर बच्चों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थेए बहुत कम प्रतिशत बच्चे हैं जिनके शरीर कपड़ो से ढंके हुए दिखे। अधिकांश बच्चे नंगे पैर घूम रहे थे। अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, शराबखोरी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य आदि जैसी समस्याओं से वह रोज जूझ रहे हैं। इन लोगों से जब समस्याओं के बारे में पूछा तो एक ही सवाल में शिकायतों की झड़ी लग गई। कई महिलाएं और पुरुष एक साथ राशन कार्ड, बुजुर्गों के लिए पेंशन, सरकार की आवास योजना में अनियमितता और रिश्वतखोरी, विकास कार्यों की कमी, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं के बारे में बताने लगे। मैं खुद मुसहर एवं डोम जातियों के घर के साथ मेरा भी घर है। मैं इन लोगों को बचपन से देखी हूँ और इस पर अपना पोस्ट डाक्टरल फेलो के रूप कार्य कर रही हूँ जिस सर्वेक्षण के दौरान बात. चीत की हूँ जो अभी भी गरीवी और नारकीय जीवन जी रहे हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य बेरोजगारीए बुढ़ापाए बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करनेए शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने एवं प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वात योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
October 2023
ISSN 2229-3388

सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43क में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि उद्योग व अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करें। सभी कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 45 के अनुसार बालकों के लिए निरूशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों जिनमें अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ आती हैंए की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचायेगा।

दलित जातियों के उत्थान के लिए- स्वनियोजन एवं अन्य कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य योजना : स्वनियोजन एवं अन्य कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य योजना का एक निर्धारित अंश दलित जातियों के उत्थान के लिए दिया जाता रहा है जिसकी शुरुआत 1983 में शुरू की गयी जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन हो सके। जिसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा ,बृद्धावस्था पेंशन ,गरीबी रेखा से नीचे जीनेवाले लाल कार्ड धारक को जान वितरण प्रणाली के द्वारा सस्ते दर पर अनाज वितरित करना -जो फलीभूत भी है कुछ बेईमानी भी है जो सबको नहीं भी मिल पता स्पष्ट तौर पर प्रशासनिक गतिहीनता ,घूसखोरी ,जमाखोरी का शिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना ,जवाहर रोजगार योजना ,मनरेगा योजना ,इंदिरा आवास योजना आदि संतोष जनक नहीं है न ही रहा है।

बिहार सरकार महादलित मिशन का गठन: बिहार सरकार महादलित मिशन का गठन किया है जिसमें आवासीय भूमि योजना ,महादलित जल आपूर्ति योजना ,आवास योजना ,शौचालय निर्माण ,महादलित संपर्क पथ योजना ,आंगन बाड़ी केंद्र ,आयुर्वेदिक चिकित्सालय ,मोबइल जनवितरण प्रणाली ,सामुदायिक भवन एवं वर्क शेड ,महादलित बच्चों के लिए विद्यालय और शिक्षित करने लिए टोला सेवक की नियुक्ति आदि पर ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति कल्याण योजना बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास सिद्धांत पर हासिये पर जीवन जी रहे दलित समाज के लिए सामाजिक न्याय ,विकास का लक्ष्य की ओर पहल करते हुए आर्थिक ,शैक्षणिक एवं सामा जिक उत्थान के लिए 40.48 करोड़ से बढ़ा कर 2023-2024 में 1800.55 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बिहार राज्य में सक्षम एवं लघु उद्योगों को बढ़वा देने के के लिए युवाओं एवं युवतिओं में उद्यमता विकास योजना लागू की गयी है। मुसहर एवं भुइयाँ के लिए मुहल्ले में विकास मित्र एक पद देकर शिक्षित करना तथा इन जातियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन राशि 100 रूपया प्रति माह छात्रवृति दिए जाने प्रावधान किया गया है लेकिन मैं खुद इन जातियों के मुहल्ले में जाकर सर्वेक्षण की हूँ अभी जिस किसी भी दृश्टिकोण से देखे संतोषजनक नहीं है । वित्त मंत्री सीता रमन ने 26 मार्च 2024 को घोषणा की है जिसमे प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत बुजुर्ग ,गरीब ,विधवा ,दिव्यांग के प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाजए उज्जवल योजना के अन्तर्गत गैस सिलिण्डर ,मनरेगा योजना के तहत गरीबों को 180 -202 दिन कार्य देना आदि है। यह अभी शोध का विषय है की समाज में इसका कार्यन्वयन सही ढंग से हुआ है या हो रहा है। इस के

लिए अदम गोंडवी कि पाँति सत प्रतिशत खरे उतरता है - तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है ...मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है .... ।

इन जातियों समुदायों के सुधार करने में कुछ चुनौतियाँ और सतर्कता ,सम .भाव जरुरी है। सबसे पहली चुनौती दलित खेत मजदूरों ,गरीब किसानों की जीवन बेहतर करना। इनकी विशाल जनसंख्यां आज भी बदहाल जीवन जी रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी ,भूमिहीन ,टूटे मकान ,बुनियादी स्वास्थ सेवा ,सामाजिक सुरक्षा,शिक्षा आदि जरुरी है। सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में भारतीय समाज में सम्मानजनक समान स्तरीय हैसियत आज भी जरुरी है। आधुनिक भारत में समता मूलक समाज के नव-निर्माण और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए आजादी के बाद से अब तक न जाने कितनी बार और कितने तरह के प्रयोग लोकतंत्र के साथ किये गये और औपचारिक रूप से ही सही ऐसे-वैसे प्रयोग में गाँधीजी के निर्धनतम व्यक्तिकी बात की गई। गाँधीजी का यह निर्ध्नतम व्यक्ति निश्चित ही दलित या हरिजन है। भारत में दलितों की स्थिति में सुधार ही लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा हो सकती है। इसके लिए माना जाता था कि जब राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू होगा और आम लोगों को जनतांत्रिक आधार मिल जाएंगे, तब विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ज्यादा-से-ज्यादा जन समुदायों को इसके लाभ मिलने लगेंगे जिसके गरीबी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और दलित तथा शोषित लोगों को मुक्ति मिल जाएगी तथा लोगों के आपसी रिश्ते ज्यादा धर्म-निरपेक्ष और समतामूलक होंगे।

मूल्यांकन: भारत औपनिवेशिक शासन से अपनी आजादी की अमृतोत्स्व मना रहा है। इन 78 वर्षों में राष्ट्र के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव चुनौतियों तथा समस्याओं से जूझने के तरह-तरह के प्रयास हुए हैं पर आज यह एहसास तीखा होता जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों एवं शहीदों के सपने अब भी अधूरे हैं। इस बेचैनी एवं छटपटाहट में भारतीय समाज का वंचित तबका एक नई राह की खोज में है, जिस पर चलकर वह राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका निभा सके एवं अपना हक पा सके। आजादी के बाद के दिनों में सामाजिक प्रक्रिया में जाति के महत्त्व को कम करने और समय के साथ उसे पूरी तरह समाप्त करने के कई प्रयास किये गये। इन प्रयासों के मूल में यह सोच थी कि धर्म-निरपेक्षता, साम्प्रदायिकता और धर्मिक अस्मिताओं को कमजोर करने के साथ-साथ जाति आधारित पहचान को कमजोर करेगी या वर्गीय चेतना ब चेतना कम हो जाएगी या अवसर और पहुँच की 'समानता' के साथ लोग अपनी जातीय और वंशगत और पारस्परिक पहचान को छोड़ देंगे एवं आधुनिकता के क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। आधुनिक शिक्षा उन्हें हकीकत व एक रूप मध्य वर्ग का अंग बना देगी और राष्ट्रीय पहचान के आधर पर एकता की एक नई अवधरणाओं का उदय होगा।

फ़िलहाल मैं संतोष कर रही हूँ की एक दिन इन समुदायों का दिन सुधरेगा- दिनकर के इस पंक्ति का सवेरा जरूर आयेगा--लोहे के पेड़ हरे होंगे. तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर ....आंसू के कण बरसाता चल ।

संदर्भ ग्रन्थः

[1] सतपथ ब्राह्मण
[2] महाभारत के सभा पर्व, (कच्चिन सर्वे कर्मान्तः परोक्षास्ते विशंकिता। सर्वे वा पुनरूसृष्टाः संसृष्टकारणम)
[3] रामायण
[4] सुत्तनिपात
[5] जातक
[6] मीमांसासूत्र
[7] मनुस्मृति
[8] मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास
[9] 'शोधश्री' नाम के जर्नल के अप्रैल-जून 2018 अंक में (मुसहर्सर ए सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी ऑफ बिहार)
[10] https://mainmedia.in/why-are-musahars-who-have-the-third-largest-population-of-scheduled-castes-the-most-backward-on-bihar